लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद (कपार्ट) द्वारा काली सूची में रखी गई स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही

648. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपार्ट द्वारा काली सूची में रखी गई स्वयंसेवी संस्थाओं की अद्यतन स्थिति क्या है,

(ख) पिछले छः महीने के दौरान कितनी संस्थाओं को काली सूची में रखा गया है,

(ग) इन संस्थाओं के विरुद्ध किस प्रकार की जांच की जा रही है,

(घ) उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है/जांच चल रही है/जांच की जाने वाली है, और

(ङ) जांच पूरी होने के बाद की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा). (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

649. **श्री राघवजी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संस्वीकृत की गई हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई और कितनी धनराशि वास्तव में प्रदान की गई; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित स्कीमें विशिष्ट रूप से तीव्रीकृत जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) और रोजगार आश्वासन स्कीम हैं। मध्य प्रदेश के 17 जिले जे० आर० वाई० के अन्तर्गत कवर किए गए थे। कुल 459 ब्लाकों में से 340 ब्लाक ई०ए०एस० के अन्तर्गत कवर किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान आई०जे०आर०वाई० और ई०ए०एस० के अन्तर्गत किए गए आवंटन और जारी की गई धनराशि विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**।

(ग) जनजातीय कल्याण, आवास और पर्यावरण और कृषि बागवानी विकास से संबंधित विभिन्न स्कीमें कल्याण मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय में लंबित है।

(रु० लाख में)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	आवंटन	जारी की गई धनराशि	आवंटन	जारी की गई धनराशि	आवंटन	जारी की गई धनराशि
आई०जे०आर०वाई०						
केन्द्र	12195.00	11606.00	12195.00	12195.00	6076.00	1357.00
राज्य	3048.75	2901.50	3048.75	3048.75	1519.00	339.25
कुल	15243.75	14507.50	15243.75	15243.75	7595.00	1696.25
ई०ए०एस०						
केन्द्र		5695.00		14536.00		22940.00
राज्य		1423.75		3634.00		5735.00
कुल		7118.75		18170.00		28675.00